रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1256] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2019/चैत्र 1, 1941
No. 1256] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2019/CHAITRA 1, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2019

का.आ. 1404(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप–धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 22 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1403(अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग–II, खंड–3, उप–खंड (ii) में दिनांक 22 मार्च, 2019 को प्रकाशित की गई थी, के तहत जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) को विधिविरूद्ध संगम घोषित किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त विधिविरूद्ध संगम के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 7 और 8 के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

[फा. सं. 14017/14/2019–एन.आई.–III]

एस. सी. एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2019

S.O. 1404(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government has declared the Jammu and Kashmir Liberation Front (Mohd. Yasin Malik faction) to be an unlawful association vide notification number S.O. 1403(E) dated 22nd March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 22nd March, 2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby directs that all powers exercisable by it under sections 7 and 8 of the said Act shall be exercised also by the Government of Jammu and Kashmir in relation to the above said unlawful association.

[F. No. 14017/14/2019-NI-III]

S.C.L. DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.03.22 20:25:28 +05'30'